

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 380/2026
अनवान : –

1. नेकीराम पुत्र चुन्नी राम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
– वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गुगनराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. जगदीश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. जय सिंह पुत्र चुनी राम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. जसवंत पुत्र राजेश कुमार जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. प्रताप पुत्र चुनी राम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. प्रहलाद पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
8. बलवंती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
9. मनीराम पुत्र चुनी राम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
10. राजबाला पत्नी राजेश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
11. राहुल पुत्र राजेश जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. श्री प्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
13. सुरस्ती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 01/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा दलपतपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 118/121 के खसरे 5 की कुल तादादी 20.9800 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज दाखिल है व मुश्तरका रूप से ही रकम राज अदा करते चले आ रहे है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल से सम्बन्धित विवाद बना रहता है वादी विवाद को

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहता है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक समझोता निम्न प्रकार से काबिज है— रोही मौजा दलपतपुरा के खसरा नं. 41/1 की 1.5807 है0, 118/4 की 0.0506 है0, 137/1 की 1.3271 है0, 138/1 की 0.2788 है0 कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2372 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। खसरा नं. 41/4 की 1.5807 है0, 118/1 की 2.1505 है0, कुल खसरा 2 की कुल तादादी 3.7312 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 7, 12 ब0 हि0 ब0 काबिज है। खसरा नं. 41/6 की 1.5807 है0, 118/2 की 1.2134 है0, 137/2 की 0.4429 है0, कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है। खसरा नं. 41/7 की 0.8475 है0, 41/8 की 0.3162 है0, 41/9 की 0.417 है0, 117/1 की 2.1505 है0, कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.7312 है0 भूमि पर वादी काबिज है। खसरा नं. 41/5 की 1.5807 है0, 117/2 की 0.7332 है0, 138/3 की 0.8979 है0, 118/5 की 0.0253 है0 कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2371 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है। खसरा नं. 41/2 की 0.7584 है0, 41/3 की 0.8223 है0, 138/2 की 1.6563 है0 कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है। खसरा नं. 41/10 की 0.0506 है0, 41/11 की 0.0126 है0, 41/12 की 0.0633 है0, 118/3 की 0.0632 है0, 117/3 की 0.0253 है0, 138/4 की 0.038 है0 कुल खसरा 6 की कुल तादादी 0.253 है0 भूमि पर गै0 मु0 रास्ता है। खसरा नं. 41/13 की 0.3163 है0 कुल खसरा 1 की कुल तादादी 0.3163 है0 भूमि पर गै0 मु0 खाला है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 13 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 14 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।


 उपसभ अधिकारी
 बोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज दाखिल है व मुश्तरका रूप से ही रकम राज अदा करते चले आ रहे हैं। भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल से सम्बन्धित विवाद बना रहता है वादी विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहता है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक समझोता निम्न प्रकार से काबिज है— रोही मौजा दलपतपुरा के खसरा नं. 41/1 की 1.5807 है0, 118/4 की 0.0506 है0, 137/1 की 1.3271 है0, 138/1 की 0.2788 है0 कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2372 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। खसरा नं. 41/4 की 1.5807 है0, 118/1 की 2.1505 है0, कुल खसरा 2 की कुल तादादी 3.7312 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 7, 12 ब0 हि0 ब0 काबिज है। खसरा नं. 41/6 की 1.5807 है0, 118/2 की 1.2134 है0, 137/2 की 0.4429 है0, कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है। खसरा नं. 41/7 की 0.8475 है0, 41/8 की 0.3162 है0, 41/9 की 0.417 है0, 117/1 की 2.1505 है0, कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.7312 है0 भूमि पर वादी काबिज है। खसरा नं. 41/5 की 1.5807 है0, 117/2 की 0.7332 है0, 138/3 की 0.8979 है0, 118/5 की 0.0253 है0 कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2371 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है। खसरा नं. 41/2 की 0.7584 है0, 41/3 की 0.8223 है0, 138/2 की 1.6563 है0 कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है। खसरा नं. 41/10 की 0.0506 है0, 41/11 की 0.0126 है0, 41/12 की 0.0633 है0, 118/3 की 0.0632 है0, 117/3 की 0.0253 है0, 138/4 की 0.038 है0 कुल खसरा 6 की कुल तादादी 0.253 है0 भूमि पर गै0 मु0 रास्ता है। खसरा नं. 41/13 की 0.3163 है0 कुल खसरा 1 की कुल तादादी 0.3163 है0 भूमि पर गै0 मु0 खाला है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्ज करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी स0 1 ता 13 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा तहसील

Zahur
उपजज अधिकारी
बेहर


नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 118/121 के खसरे 5 की कुल तादादी 20.9800 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज दाखिल है व मुश्तरका रूप से ही रकम राज अदा करते चले आ रहे है। भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल से सम्बन्धित विवाद बना रहता है वादी विवाद को टालने की गर्ज से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाना चाहता है। वादी व प्रतिवादीगण मुताबिक समझोता निम्न प्रकार से काबिज है- रोही मौजा दलपतपुरा के खसरा नं. 41/1 की 1.5807 है0, 118/4 की 0.0506 है0, 137/1 की 1.3271 है0, 138/1 की 0.2788 है0 कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2372 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ब0 हि0 ब0 काबिज है। खसरा नं. 41/4 की 1.5807 है0, 118/1 की 2.1505 है0, कुल खसरा 2 की कुल तादादी 3.7312 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1, 7, 12 ब0 हि0 ब0 काबिज है। खसरा नं. 41/6 की 1.5807 है0, 118/2 की 1.2134 है0, 137/2 की 0.4429 है0, कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है। खसरा नं. 41/7 की 0.8475 है0, 41/8 की 0.3162 है0, 41/9 की 0.417 है0, 117/1 की 2.1505 है0, कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.7312 है0 भूमि पर वादी काबिज है। खसरा नं. 41/5 की 1.5807 है0, 117/2 की 0.7332 है0, 138/3 की 0.8979 है0, 118/5 की 0.0253 है0 कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2371 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 काबिज है। खसरा नं. 41/2 की 0.7584 है0, 41/3 की 0.8223 है0, 138/2 की 1.6563 है0 कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 9 काबिज है। खसरा नं. 41/10 की 0.0506 है0, 41/11 की 0.0126 है0, 41/12 की 0.0633 है0, 118/3 की 0.0632 है0, 117/3 की 0.0253 है0, 138/4 की 0.038 है0 कुल खसरा 6 की कुल तादादी 0.253 है0 भूमि पर गै0 मु0 रास्ता है। खसरा नं. 41/13 की 0.3163 है0 कुल खसरा 1 की कुल तादादी 0.3163 है0 भूमि पर गै0 मु0 खाला है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्ज करवाना चाहते है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 ता 13 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिकी किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खसरा नं. 41/1 की 1.5807 है0, 118/4 की 0.0506 है0, 137/1 की 1.3271 है0, 138/1 की 0.2788 है0 कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2372 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 41/4 की 1.5807 है0, 118/1 की 2.1505 है0, कुल खसरा 2 की कुल तादादी 3.7312 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 7, 12 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं.

Lahur
उपसचिव अधिकारी
बोहर

41/6 की 1.5807 है0, 118/2 की 1.2134 है0, 137/2 की 0.4429 है0, कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 41/7 की 0.8475 है0, 41/8 की 0.3162 है0, 41/9 की 0.417 है0, 117/1 की 2.1505 है0, कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.7312 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 41/5 की 1.5807 है0, 117/2 की 0.7332 है0, 138/3 की 0.8979 है0, 118/5 की 0.0253 है0 कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2371 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 41/2 की 0.7584 है0, 41/3 की 0.8223 है0, 138/2 की 1.6563 है0 कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 41/10 की 0.0506 है0, 41/11 की 0.0126 है0, 41/12 की 0.0633 है0, 118/3 की 0.0632 है0, 117/3 की 0.0253 है0, 138/4 की 0.038 है0 कुल खसरा 6 की कुल तादादी 0.253 है0 भूमि पर गै0 मु0 रास्ता दर्ज किया जाता है व खसरा नं. 41/13 की 0.3163 है0 कुल खसरा 1 की कुल तादादी 0.3163 है0 भूमि पर गै0 मु0 खाला दर्ज किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत/स्थानान्तरित करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार तरमीम मुताबिक नजरी नक्शा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक01/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 380/2026

अनवान : -

1. नेकीराम पुत्र चुन्नी राम जाति जाट निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- वादी

बनाम्

1. कृष्ण पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. गुगनराम पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. जगदीश पुत्र बनवारीलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. जय सिंह पुत्र चुनी राम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. जसवंत पुत्र राजेश कुमार जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. प्रताप पुत्र चुनी राम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. प्रहलाद पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा।
8. बलवंती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा।
9. मनीराम पुत्र चुनी राम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
10. राजबाला पत्नी राजेश जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा।
11. राहुल पुत्र राजेश जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. श्री प्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा।
13. सुरस्ती पुत्री रामजीलाल जाति जाट निवासी नेटराना तहसील भादरा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 380 सन 2026 निर्णय दिनांक 01/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खसरा नं. 41/1 की 1.5807 है, 118/4 की 0.0506 है, 137/1 की 1.3271 है, 138/1 की 0.2788 है कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2372 है भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 41/4 की 1.5807 है, 118/1 की 2.1505 है, कुल खसरा 2 की कुल तादादी 3.7312 है भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 7, 12 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 41/6 की 1.5807 है, 118/2 की 1.2134 है, 137/2 की 0.4429 है, कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 41/7 की 0.8475 है, 41/8 की 0.3162 है, 41/9 की 0.417 है, 117/1 की 2.1505 है, कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.7312 है भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 41/5 की 1.5807 है, 117/2 की 0.7332 है, 138/3 की 0.8979 है, 118/5 की 0.0253 है कुल खसरा 4 की कुल तादादी 3.2371 है भूमि प्रतिवादी संख्या 6 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नं. 41/2 की 0.7584 है, 41/3 की 0.8223 है, 138/2 की 1.6563 है कुल खसरा 3 की कुल तादादी 3.237 है भूमि का प्रतिवादी संख्या 9 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं खसरा नं. 41/10 की 0.0506 है, 41/11 की 0.0126 है, 41/12 की 0.0633 है, 118/3 की 0.0632 है, 117/3 की 0.0253 है, 138/4 की 0.038 है कुल खसरा 6 की कुल तादादी 0.253 है भूमि पर गै० मु० रास्ता दर्ज किया जाता है व खसरा नं. 41/13 की 0.3163 है कुल खसरा 1 की कुल तादादी 0.3163 है भूमि पर गै० मु० खाला दर्ज किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत/स्थानान्तरित करते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार तरमीम मुताबिक नजरी नक्शा की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर